प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर–208002

Phone No.: 0512-2582084
Fax No. :0512- 2580965
E-mail : directordteup@gmail.com
dteupestablishment@gmail.com

Visit us: http:// upted.gov.in/directorate

सं0:–12679/ई–स्था0–अरा0बैकलाग–2007(03), कानपुर : दिनांकः–15 जुलाई, 2023

–:आदेशः–

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर शासनादेश सं0–04/2021/1/4/2011–का–4–2021 दिनांक–29.04.2021 में निहित प्रावधानानुसार **कर्मशाला अनुदेशक, फिटिंग/ प्लम्बिंग बैण्डवेतन रु0 9300–34800 सादृश्य ग्रेडवेतन रु0 4200/–** (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन संरचना लेबल–6) में न्यूनतम् वेतन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के **स्तम्भ–4** में अंकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और परिणामस्वरूप आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। अभ्यर्थी की यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थाई है एवं नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें **शासनादेश संख्या–20/1/74–3 दिनांक–11.06.1975** में निहित प्राविधानानुसार किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है:–

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	स्थाई पता	संस्था जहाँ नियुक्ति की जानी है
1	2	3	4
1.	श्री जय प्रकाश मिश्रा, पुत्र श्री श्याम नारायण मिश्रा, ग्राम–पर्वतपुर पोस्ट–उडीकाडीह, जिला–प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश–230001	ग्राम पर्वतपुर, पोस्ट उडीकाडीह, प्रतापगढ़ पिन कोड–230001	राजकीय पालीटेक्निक, प्रेमधर पट्टी प्रतापगढ़

उक्त के अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को "यह भी अवगत कराया जाता है कि उनकी यह नियुक्ति अस्थायी है और जाति प्रमाण–पत्रों के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर, की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण पत्र का दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।"

नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनकी वरिष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित **"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991"** में निहित प्राविधानानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होगें:–

1. सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।
2. दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
3. एक पति/पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
5. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण–पत्र।

नियुक्त अभ्यर्थी को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने के साथ ही उनके चरित्र सत्यापन संबंधित जिले के जिलाधिकारी एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही तैनाती संस्थान से संबंधी प्रधानाचार्य स्तर से प्रत्येक दशा में छः मास की समयावधि में पूर्ण करा ली जाए, ताकि अभ्यर्थियों के औपबंधिक नियुक्ति की पुष्टि किये जाने के संबंध में तद्नसार ही निर्णय लिया जा सके।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण–पत्र निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कार्यालय भेजे जायें। नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथि से 02 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा। पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

(के0 राम)
निदेशक।

niyukti\trilok